विजय कुमार सिंह (भा.पु.से.)
संचालक
खेल और युवा कल्याण (म.प्र.)

खेल और युवा कल्याण संचालनालय, (म.प्र.)
राज्य खेल परिसर, टी.टी. नगर, भोपाल-03
फोन : 0755-2773012
ई मेल : director@dsywmp.gov.in,
dirsportsmp@gmail.com
वेबसाइट : www.dsywmp.gov.in

अर्द्ध शा. पत्र क्र. : 1602
दिनांक : 19/3/2020

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव
राज्य स्तरीय खेल संघ
मध्यप्रदेश

विषय :- **मध्यप्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों के बीमा करने के संबंध में।**

संदर्भ :- **संचालनालयीन पत्र क्रमांक-2036/खे.यु.क./2019, दिनांक 01/11/2019 एवं पत्र क्रमांक-1190/खे.यु.क./2019, दिनांक 04/12/2019।**

प्रदेश के कई प्रतिभावान खिलाड़ी प्रतियोगिता/ अभ्यास के दौरान या अन्य कारण से चोटिल हो जाते है अथवा दुर्घटनावश अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। खिलाड़ियों/ अभिभावको की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की दशा में इन्हें उचित/पर्याप्त चिकित्सा सहायता नही मिल पाती, ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों के पुनर्वास में काफी समय लग जाता है, जिस कारण असमय ही खेल प्रतिभा का दमन हो जाता हैं।

सन्दर्भित पत्रानुसार, म.प्र. शासन खेल और युवा कल्याण विभाग ने यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को व्यापक बीमा पॉलिसी {IPD- Indoor patient Dept} प्रदान की जाए। उक्त पॉलिसी के अन्तर्गत खिलाड़ियों का चिकित्सा बीमा एवं दुर्घटना बीमा शामिल होगा।

प्रदेश के ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों का विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध है, खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक अधिकृत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो, एसे खिलाड़ियों के आवेदन एवं प्रमाण पत्र उनके संबंधित खेल संघ द्वारा प्रमाणित कर संचालनालय को अग्रेषित किये जायेंगे।

यह बीमा पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगी, और आगामी वर्ष में इस बीमा पॉलिसी को पुनः जारी करने के लिए खिलाड़ियों की जानकारी खेल संघ द्वारा पुनः उपलब्ध कराई जावेगी।

संलग्न प्रपत्र मे 31 मार्च 2020 के पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करे। इस सम्बन्ध में कोई जिज्ञासा हो अथवा अधिक जानकारी चाहते हो तो श्री जलज चतुर्वेदी, सहायक संचालक, संचालनालय खेल और युवा कल्याण, से मो.न. 9826016920 {jalaj.ad2410@gmail.com} तथा श्री मनीष रतनानी (सहायक प्रबन्धक, आनंद राठी बीमा ब्रोकर) से मो.नं. 9174855309 {manishratnani@rathi.com} पर संपर्क कर सकते हैं।

खिलाड़ियों के हित में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और हम आशा करते है कि आपके सहयोग से इस पहल में सफलता प्राप्त होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

18/3/20

(विजय कुमार सिंह)
संचालक
खेल और युवा कल्याण (म०प्र०)

पृ. क्रमांक /1603/ खे.यु.क. / 2020 भोपाल, दिनांक 19 / 03 / 2020

प्रतिलिपि –

1/ अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2/ निज सचिव, माननीय मंत्री जी म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3/ समस्त संभागीय/जिला, खेल और युवा कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर, आपके जिले में संचालित राज्य स्तरीय खेल संघ से सम्पर्क कर खिलाड़ियों की जानकारी एकत्र कर संचालनालय को ई–मेल द्वारा भेजने हेतु।

4/ सहायक संचालक, जनसम्पर्क, संचालनालय खेल और युवा कल्याण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5/ प्रभारी आई टी शाखा की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

18/3/20.

संचालक
खेल और युवा कल्याण
(म0प्र0)